



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना
का

अधिकार

क्र०/तक०/3178

सिंगरौली, दिनांक. 16.05.2024

प्रति,

महाप्रबंधक

म0प्र0 जल निगम

मर्यादित परिकिर्ई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैढ़न-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.5744 हे० वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 2.8607 हे०) आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। Proposal No. FP/MP/WATER/151344/2022

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP052/2023-BHO/315 दिनांक 02.05.2024

-000-

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से बैढ़न-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 3.1946 हे० वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 4.7558 हे०) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्र० PF 83, 85, 81, 77, 89, 88, 75, 886, 74, 72, 65, 64 एवं RF 57 वन परिक्षेत्र गोरबी का कक्ष क्रमांक PF 194, 144, 145, 147, 181, 166 वन परिक्षेत्र बैढ़न का कक्ष क्रमांक PF 256, 279 एवं RF 403, 411, 414, 308, 399, 401, 396, 397, 409, 413, 384, 309, 308, 307 तथा वन परिक्षेत्र माड़ा का कक्ष क्रमांक PF 548, 454, 429, 425, 427 एवं RF 424 वनभूमि कुल रकवा 2.5744 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	मद का नाम	रकवा (हे० में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	2.5744	31,62,882/-	-	31,62,882/-
			31,62,882/-	-	31,62,882/-

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण रकवा 3.1946 हे० (out of 67.30) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.व्ही. की राशि रु. 31,62,882/- (रु. इकतीस लाख बासठ हजार आठ सौ बयासी मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

(Signature)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

पृ०क्र०/तक०/3179

सिंगरौली दिनांक. 16.05.2024

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(Signature)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली



Section manager
issue budget
demand letter
to H.O.
Party